

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

बाद पत्र संख्या

:- 46 / 2023

उनवान

1. पप्पूराम पुत्र टीकूराम जाति रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. धर्मपाल पुत्र हरफूल
3. कजोड पुत्र शिवराम जाति रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

1. नाथू पुत्र टीकूराम
2. देवी पुत्र टीकूराम
3. मनभर पुत्री टीकूराम
4. प्रेम देवी पत्नि सांवरमल
5. सुमन पुत्री सांवरमल

1. संगीता पुत्री सांवरमल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रेम देवी पत्नि सांवरमल
2. सपना पुत्री सांवरमल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रेम देवी पत्नि सांवरमल
3. स्वयम पुत्र सांवरमल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रेम देवी पत्नि सांवरमल

जाति रैगर निवासीगण नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956



अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 26.6.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 012 रकबा 0.36 है0, 1013 रकबा 0.5200 है0, 1017 रकबा 0.88 00 है0 कुल किता 3 रकबा 1.76 है0 गाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है। खातेदार मुरली देवी पत्नि स्व0 टीकरम व सांवरमल पुत्र टीकूराम फौत हो चुके है जिनके वारिसान प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण है। प्रश्नागत आराजी का उप तहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/सीमा/ 1667 दिनांक 11.4 2018 की पालना में दिनांक 31.5.2019 को खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 31.5.2019 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। प्रकरण मंहगाई राहत कैम्प जगतपुरा में रखा गया। वकील प्रार्थी उपस्थित आये तथा वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का गटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.5.2019 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 31.5.2019 को गिरदावर हल्का राजावास तथा अन्य


उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

पटवारियों की टीक के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्राथी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का राज्य सरकार की मंशा के अनुसार शीघ्र नैस्तारण तथा मंहगाई राहत शिविर में लगाये गये कैम्प को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर हसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि कि ख.नं. 1012 रकबा 36 है0, 1013 रकबा 0.5200 है0, 1017 रकबा 0.88 00 है0 कुल किता 3 रकबा 1.76 है0 वाके ग्राम गाबास तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक माज्ञान दिनांक 31.5.2019 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।




उप (खण्ड) अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर